८५

III / निग / सिंगरौली / भू.रा / 2017 / 2245

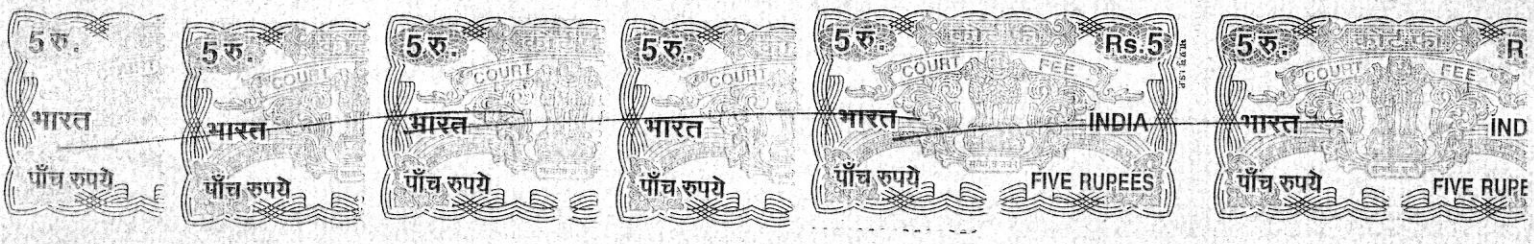

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
रीवा (सर्किट कोर्ट रीवा) म0प्र0

विषेश्वर प्रसाद वैसवार तनय लगनधारी वैसवार निवासी धिनहागॉव तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 ——————**आवेदक**

R.B. 201

बनाम्

1— प्रकाश नारायण पिता सुरेश प्रसाद पाण्डेय साकिन धिनहागॉव तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

2— म0प्र0 शासन ———**उत्तरवादीगण**

अधि० श्री अंजनी कुमार सोनी
सद पेश / 18.7.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) के प्रकरण कमांक 1211 / अपील / 15—16 के पारित आदेश दिनांक 3.07.2017 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर

<u>प्रकरण के तथ्य :—</u>

यह कि भूमि खसरा नं0 77 / 1 आवेदक के पुत्र विजेन्द्र सेन 77 / 2, आवेदक के भतीजे रमेश कुमार, 778 / 1 आवेदक के पुत्र चन्द्रसेन, 778 / 2 आवेदक के पुत्र विजेन्द्र सेन 778 / 3 आवेदक के पुत्र शुकसेन, 778 / 4 आवेदक के भतीजे रमेश कुमार उक्त भूमियो के स्थित ग्राम धिनहागॉव तह0 देवसर जिला सिंगरौली के मालिक भूमि स्वामी है, उपरोक्त भूमियॉ आवेदक के परिवार के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/निग./सिंगरोली/भू.रा./2017/2245

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1211/15–16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 3–7–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार देवसर के समक्ष इस आशय की शिकायत की गई थी कि ग्राम घिनहा गॉव की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 917 (तालाब भूमि) के अंश भाग 0.02 है. पर पक्का निर्माण कार्य करके अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 163 अ–68/14–15 पॅजीबद्व कर आदेश दिनॉक 26–9–15 पारित करके संहिता की धारा 248 के अंतर्गत बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 16/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–3–16 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार करते हुये निर्मित क्षेत्र मंदिर को निजी मानना एंव उस पर संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू न होना मानकर तहसीलदार के आदेश के अॅश भाग को निरस्त करते हुये मकान के संबंध में पारित आदेश के शेष भाग को यथावत् रखा। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील	

प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ,रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1211/15–16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 3–7–17 से अपील खारिज कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। निगरानी मेमो में जिन आधारों को दर्शाया गया है उसी प्रकार के आधार अपर आयुक्त ,रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 1211/15–16 में दिये गये हैं जिनका निराकरण अपर आयुक्त व्दारा विस्तृत विवेचना कर आदेश दिनांक 3–7–17 में किया गया हैं। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3–7–17 एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर के आदेश दिनांक 31–3–16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने घिनहा गॉव की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 917 तालाब भूमि के अंश भाग 0.02 है. पर पक्का निर्माण कार्य करके अतिक्रमण किया है। जहॉ तक मंदिर निर्माण का प्रश्न है ? रूद्रमणी व्दारा टीन सेट डालकर मंदिर व बाउन्ड्री वाल बनाई है एंव मंदिर निजी है जिसके कारण मंदिर वाले भू भाग को धारा 248 के प्रावधानों के अंतर्गत आना नहीं माना गया है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3–7–17 में एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर के आदेश दिनांक 31–3–16 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार की राहत दिया जाना संभव नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1211/15–16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 3–7–17 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य